राजस्थान सरकार वित्त विभाग (कर अनुभाग)

अधिसूचना जयपुर, फरवरी १२, २०१८

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं० 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)वित्त/कर/11-153 दिनांक 09.03.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 37 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुक्क घटाया जायेगा और अधिकतम पाँच लाख रूपये के अध्यधीन रहते हुए 0.15 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[सं.पं.4(3)वित्त/कर/2018-187] राज्यपाल के आदेश से,

> प्रवीण-गुप्ता, शासन सचिव

GOVERNMENT OF RAJASTHAN FINANCE DEPARTMENT (TAX DIVISION)

NOTIFICATION Jaipur, February 12, 2018

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(25)FD/Tax/11-153 dated 09.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the instruments specified in Article 14 and clause (c) of Article 37 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent subject to maximum of rupees five lakh.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-187] By order of the Governor,

(Praveen Supta)
Secretary to the Government